Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

APP-A
Gen-I

न्यायालय सहायक कलेक्टर, रानीवाड़ा, जिला–जालोर

प्रार्थी / प्रार्थीगण		अप्रार्थी / अप्रार्थीगण
नगाजी वगैरह जाति- पुरोहित, निवासी- सेवाड़िया त० रानीवाड़ा, जालोर	बनाम	राधादेवी वगैरह जाति- पुरोहित, नि- सेवाड़िया त० रानीवाड़ा जालोर

किस्म मुकदमा :- धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम 1955

राजस्व प्रार्थना सं. 6/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इब्तिदाई जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तारीख से जारी हुए
17.07.2020	प्रार्थी नगाजी ने अप्रार्थी राधादेवी के विरुद्ध एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रस्तुत किया। कार्यालय टिप्पणी का अवलोकन किया। अतः उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 02/09/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा	
02/09/2020	पत्रावली आज पेश हुई। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 1.10.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
01.10.2020	पत्रावली आज पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय, मुख्यालय से बाहर बिराजते हैं, इत्तला होकर पत्रावली आइन्दा दिनाँक 6.10.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
6.10.2020	पत्रावली आज पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय, मुख्यालय से बाहर बिराजते हैं, इत्तला होकर पत्रावली आइन्दा दिनाँक 13.10.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
13.10.2020	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। [illegible] आवाज दिलाई गई कोई [illegible] नहीं होने से उनके विरुद्ध [illegible] कार्यवाही की जाती है। [illegible] निवेदन किया कि अप्रार्थीगण बिना बंटवारा करवाये ही उक्त विवादित आराजी पर पक्का निर्माण	

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा — PTO —

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कार्य करवा रहे हैं। जिसमें प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होगा तथा प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति रुपयों पैसों में किया जाना संभव नहीं होगा । अतः मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि मौजा सेवाड़िया में आराजी नवीन खसरा नम्बर 314, 315 रकबा क्रमशः 2.01, 1.19 हेक्टेयर में प्रार्थीगण के हक हिस्से की आराजी में न तो अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं कोई दखल करें तथा न ही किसी अन्य से कोई दखल करावे तथा नही उक्त आराजी में कोई पक्का तामीर कार्य व तारबंदी करावे तथा न ही उसका बेचान करें। अप्रार्थी संख्या 1 मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें । हमने पत्रावली का अवलोकन किया मौजा सेवाड़िया में संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 314, 315 रकबा 2.01, 1.19 हेक्टेयर कुमले रकबा 3.20 हेक्टेयर स्थित है उक्त आराजी में अप्रार्थी सं. ① की हिस्सेदारी है, अप्रार्थी का हिस्सा होने से बेचान, निर्माण करने का उनका अधिकार है, परन्तु बिना बंटवारा निर्माण व बेचान करवाने पर विवाद उत्पन्न होने एवं वाद की बहुतायत होगी। उक्त स्थिति को रोकना न्याय संगत है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा ... वाद तक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ... की जारी की जाती है कि ... तहसील रानीवाड़ा ... 314, ... रकबा 2.01, 1.19 हेक्टेयर कुमले रकबा 3.20 है. की यथास्थिति बनाये रखेंगें। निर्णय की [signature] —PTO— सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	तहसीलदार रानीवाड़ा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना - अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (signature) सहायक कलेक्टर रानीवाडा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner